2023/261

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111 – 128	187/23	13/12/2023	A/c 27/3/24	10/1/24

अनवान

श्री देवीलाल S/o गुलाब धाकड़

निवासी लक्ष्मीनिवास तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

श्री नरेश कुमार S/o सुगन धाकड़

निवासी सूरजविलास तह. बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

श्री रामफूल धाकड़

मदयून

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

देवी लाल s/o गुलाब धाकड़ बनाम / नरेश कुमार s/o सुगन धाकड़

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 187/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/12/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 10/1/2023 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/1/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/2/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
21/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी गण की समस्त बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 26/3/24 को पेश हो।	
26/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27/3/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
27/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पूर्व में दिए गए। पत्रावली में आदेश पृथक से लिखवाया गया एवं निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।	

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 13/12/23

प्रकरण संख्या :– 187/23

देबीलाल पुत्र गुलाब जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. नरेश कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सूरजविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सुगनलाल पुत्र चतुर्भूज जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. कन्हैयालाल पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. शंकरलाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. शंभू पुत्र नाराण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. रमेश पुत्र गंगाराम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
07. शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांकः 27/3/24

प्रार्थना पत्र **देबीलाल पुत्र गुलाब जाति धाकड निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 46 पर अंकित आराजी संख्या 247 रकबा 0.2914 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमा जी का खेडा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 46 पर अंकित आराजी संख्या 247 रकबा 0.2914 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

...ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 187/23

प्रेषिति :–

दा. तारीख 13/12/23
आ. तारीख 27/3/24

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 187/23 / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

देबीलाल पुत्र गुलाब जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...........प्रार्थी

बनाम

01. नरेश कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सूरजविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सुगनलाल पुत्र चतुर्भूज जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. कन्हैयालाल पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. शंकरलाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. शंभू पुत्र नाराण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. रमेश पुत्र गंगाराम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
07. शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 46 पर अंकित आराजी संख्या 247 रकबा 0.2914 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **उमा जी का खेडा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा